

बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :- 6/ग्रा0 ज0 1 101/2015 - 257 (ग्रा0)

पटना - 15 दिनांक : 31/10/2017

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, आरा / सासाराम।

विषय -- वर्ष 2017-18 में "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्ष तक रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु 97.00 लाख रुपये (सन्तानबे लाख रुपये) मात्र का आवंटन।

"मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्ष तक रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु विभागीय पत्रांक 6/ग्रा0 ज0-1-101/2015 - 1777 दिनांक - 08/07/15 द्वारा 26235.709 लाख रुपये की स्वीकृति दी गयी है। वर्ष 2017-18 के राज्य योजना अन्तर्गत इस योजना से चापाकलों के निर्माण हेतु 97.00 लाख रुपये (सन्तानबे लाख रुपये) मात्र का आवंटन निम्नांकित तालिका के अनुसार किया जाता है :-

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रमण्डल का नाम	नगर निकाय का नाम	कुल वार्डों की संख्या	भौतिक लक्ष्य	जावटित राशि (लाख रुपये में)	
						अंकों में	शब्दों में
1	2	3	4	5	6	7	8
1	भोजपुर	आरा	आरा नगर निगम	45	135	35.00	पैंतीस लाख रुपये मात्र।
2	भोजपुर	आरा	पीरो, नगर पंचायत	17	17	7.50	सात लाख पचास हजार रुपये मात्र।
3	भोजपुर	आरा	बिहियाँ, नगर पंचायत	14	14	6.00	छः लाख रुपये मात्र।
4	भोजपुर	आरा	जगदीशपुर, नगर पंचायत	18	18	8.00	आठ लाख रुपये मात्र।
5	भोजपुर	आरा	कोईलवर, नगर पंचायत	14	14	6.00	छः लाख रुपये मात्र।
6	भोजपुर	आरा	शाहपुर, नगर पंचायत	11	11	4.50	चार लाख पचास हजार रुपये मात्र।
7	रोहतास	सासाराम	सासाराम नगर परिषद	40	80	10.00	दस लाख रुपये मात्र।
8	रोहतास	सासाराम	डेहरी डालमियानगर, नगर परिषद	39	78	8.00	आठ लाख रुपये मात्र।
9	रोहतास	सासाराम	विक्रमगंज, नगर पंचायत	23	23	4.00	चार लाख रुपये मात्र।
10	रोहतास	सासाराम	कोआथ, नगर पंचायत	12	12	2.00	दो लाख रुपये मात्र।
11	रोहतास	सासाराम	नाखा, नगर पंचायत	15	15	2.00	दो लाख रुपये मात्र।
12	रोहतास	सासाराम	नासरीगंज, नगर पंचायत	14	14	2.00	दो लाख रुपये मात्र।
13	रोहतास	सासाराम	कोचरा, नगर पंचायत	12	12	2.00	दो लाख रुपये मात्र।
			कुल	274	443	97.00	सन्तानबे लाख रुपये मात्र।

- इस योजना पर होने वाला व्यय बजट का मुख्य शीर्ष 4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय उपमुख्य शीर्ष - 02-मल जल तथा सफाई लघु शीर्ष - 106 मल जल सेवाएँ मांग संख्या - 36 उप शीर्ष - 0104 शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा का सुदृढीकरण विपत्र कोड - 36 4215021060104 विषय शीर्ष - 0104.53.01 मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।
- कार्य प्रारंभ करने के पूर्व दरों की स्वीकृति सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त कर लेंगे।
- इस आवंटन से होने वाला व्यय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण किये जाने वाले चापाकलों पर किया जायेगा।

(Handwritten Signature)


(Handwritten Signature)

5. इस आवंटन के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यय बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं इनके अन्तर्गत निर्गत सभी सरकारी आदेश के अनुरूप किया जायेगा।

6. आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत योजना के अनुसार निर्माण कार्य पर ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में स्थापना या दूसरे मद में इस राशि का खर्च नहीं किया जायेगा।

7. आवंटित राशि वित्त विभाग के पत्रांक एम० ०४ - ०५/९८ - २५६१ (वि० - २) दिनांक - १७-०४-९८ के अधीन निकासी हेतु विमुक्त है।

8. कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह की १०वीं तारीख तक मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अवश्य भेज देंगे। प्रगति से जिला पदाधिकारी को भी नियमित रूप से अवगत कराते रहेंगे।


(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव

ज्ञापांक :- २५७ (म००)

पटना, दिनांक : ३१/१०/२०१७

प्रतिलिपि -- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


2. विकास आयुक्त / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / प्रमंडलीय आयुक्त, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

3. जिला पदाधिकारी, भोजपुर / रोहतास / उप विकास आयुक्त, भोजपुर / रोहतास को सूचनार्थ प्रेषित।

4. कोषागार पदाधिकारी, आरा / सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. आप्त सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का सूचनार्थ प्रेषित।

6. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (यॉत्रिक) / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, पटना / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो०) / अधीक्षण अभियन्ता, आरा / अधीक्षण अभियन्ता, सासाराम / उप निदेशक (मू०) को अतिरिक्त २ प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता -सह- मोडल पदाधिकारी / कार्यपालक अभियन्ता (मो०-१) / निदेशक, (जल गुणवत्ता) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकन) / प्रगारी, डाटा सेन्टर (बेवसाईट पर प्रकाशन हेतु) / आई० टी० मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी - ४, ६ / कार्यवाह सहायक प्रशाखा - ६ को अतिरिक्त २ प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)

अभियन्ता प्रमुख -सह- विशेष सचिव